न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 16 / 2018
प्रविष्टि दिनांक 17.01.2018

रामजस पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी ज्योतिपुरा पंचायत चांदसिंहपुरा तहसील देवली ज़िला टोंक राज0

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राजस्थान।

रेस्पो0

अपील विरूद आदेश दिनांक 30.11.2017 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः—
1. श्री शिवराज चांगल अभिभाषक —अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार —रेस्पाडेन्ट

निर्णय दिनांक 14.03.2018

अपील अपीलान्ट सांराश में इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 30.11.2017 से श्री रामजस मीना,उचित मूल्य दुकानदार ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील देवली का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई।

हमने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। प्रर्वतक निरीक्षक के बयान उक्त प्रकरण मे लेखबद्व नही हुए है और न ही प्रर्वतक निरीक्षक से जिरह करने का अवसर प्रदान किया गया है। राजस्थान खाधान एंव अन्य आवश्यक प्रदार्थ(वितरण का विनियमन)आदेश 1976 की धारा 8 (2) व 9 दण्डात्मक धारा है,उक्त दण्डात्मक धाराओ मे अपराध को साबित करने के लिए सन्देह से परे साक्ष्य पेश होनी चाहिए थी जो पेश नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा नियमानुसार खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है जो राशन कार्ड व स्टॉक वेरीफिकेशन से पूर्णतया साबित है।अपीलांट नियमानुसार अपना स्टॉक एंव अन्य सूचनाऐ सहित मासिक रिर्टन सक्षम अधिकारी के सक्षम प्रस्तुत कर रहा था। रेस्पोडेण्ट द्वारा किसी भी राशन सामग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बयान लेखबद्व नही किये गये है। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी आदेश की शर्तो का उल्लधंन नही किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि दिनांक 21.11.2017 को शिकायत की जांच करने पर दुकान के बाहर स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन नही किया

जिला कलेक्टर
टोंक

गया। बैरवा समाज के सामुदायिक भवन पर अतिक्रमण कर उचित मूल्य की दुकान का संचालन करना पाया गया। अपीलांट को माह मार्च 2017 से सितम्बर 2017 तक कुल 787.90.80 क्वि0 गेहूँ की आपूर्ति की गई थी एंव पॉस मशीन से ऑललाईन 1मार्च 2017 से 12.09.2017 तक कुल 671.25 क्वि0 गेहूँ का वितरण किया है तथा अपीलांट के पास 116.658 क्वि0 होना चाहिए था,परन्तु भौतिक सत्यापन मे कुल 112.42 क्वि0 गेहूँ मिला। इस प्रकार अपीलांट द्वारा 4.238 क्वि0 गेहूँ को कालाबाजारी की नियत से बैरवा समाज के सामुदायिक भवन पर मिला। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। श्री रामजस मीना,उचित मूल्य दुकानदार ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील देवली की शिकायत की दिनांक 21.11.2017 को दौराने जांच दुकान के बाहर स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन नही करना पाया गया तथा बैरवा समाज के सामुदायिक भवन पर अतिक्रमण कर उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जा रहा था। अपीलांट को माह मार्च 2017 से सितम्बर 2017 तक कुल 787.90.80 क्वि0 गेहूँ क्रय–विक्रय सहकारी समिति देवली द्वारा वितरण हेतु उपलब्ध करवाये गये थे,जिनमे से 1मार्च 2017 से 12.09.2017 तक कुल 671.25 क्वि0 गेहूँ का वितरण किया गया तथा स्टॉक मे 116.658 क्वि0 होना चाहिए था,परन्तु भौतिक सत्यापन करने पर 112.42 क्वि0 गेहूँ मिला। इस प्रकार अपीलांट द्वारा 4.238 क्वि0 गेहूँ का स्टॉक रजिस्टर मे गलत इन्द्राज कर कालाबाजारी की नियत से रखा जाना सिद्व है तथा सामुदायक भवन पर दुकान का संचालन व दुकान के बाहर स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन नही कर अनियमितता की गई है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि प्रकरण मे एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जाहिर है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1678 दिनांक 01.09.2017 से कार्यालय मे दिनांक 25.09.2017 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया है,परन्तु अपीलार्थी कार्यालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकार टोंक ने अपीलाण्ट द्वारा राज0 खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,2,8,9 व 17(ग) का उल्लधंन करने के कारण प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 30.11.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक